

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 1791/2025

श्रीमती ओमकाली

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अनुराग कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने आज न्यायालय में निर्देशों की प्रति दाखिल की है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है। कार्यालय को तदनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:- "एक रिट आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को निर्देश दिया जाए कि वे प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष लंबित अपील संख्या 578/2022, यू.पी. सी.एच. अधिनियम की धारा-11(1) के तहत (ओमकाली बनाम राजेश एवं अन्य), इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक विशिष्ट अवधि के भीतर तय करें।"
3. यह तर्क दिया गया है कि यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 11(1) के तहत अपील दिनांक 03.10.2022 से विचाराधीन लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि अपील में विपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और वाद अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता, निर्देशों के आधार पर, यह तर्क देते हैं कि अवर न्यायालय के अभिलेख पहले ही मंगवा लिए गए हैं और मामले को शीघ्रता से तय किया जाएगा।
5. इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और प्रत्यर्थी संख्या 1 को यह निर्देश देता है कि वे उपर्युक्त अपील को कड़ाई से कानून के अनुसार, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर तय करें।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

वी.आर.